

संख्या-1326/एक-10-2023-33(8)/2021 टी.सी.

प्रेषक,

राम केवल,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ:दिनांक:22/09/2023

विषय- राज्य आपदा मोचक बल, लखनऊ की तीन (03) अतिरिक्त कम्पनियों को आधुनिक विशेषकृत उपकरणों आदि से सुसज्जित किये जाने तथा आपदा के दौरान बचाव, राहत एवं प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु विशेषकृत उपकरणों/ वाहनों आदि के क्रयार्थ राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा ई-आफिस पर अग्रसारित, एवं उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या:उ०प्र० प्रको०-146-2023(एसडीआरएफ), दिनांक 25.08.2023 के साथ संलग्न अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी के पत्र दिनांक 10.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत विशेषकृत उपकरण/वाहनों के क्रयार्थ वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹0 45,22,47,845/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक 17.05.2023 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णयानुसार अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक 25.08.2023 द्वारा दिये गये संशोधित प्रस्ताव के अनुसार गृह विभाग, उ०प्र० शासन की संस्तुति प्राप्त होने के क्रम में राज्य आपदा मोचक बल की स्वीकृत 03 अतिरिक्त कम्पनियों हेतु निम्नलिखित विशेषकृत उपकरणों/वाहनों के क्रय हेतु धनराशि ₹0 45,22,47,845/- (पैंतालीस करोड़ बाइस लाख सैंतालीस हजार आठ सौ पैंतालीस मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	उपकरण के प्रकार	निर्धारित उपकरणों की संख्या	अनुमानित व्ययभार(रुपये में)
1	C.S.S.R. EQUIPMENT	42	21,42,88,600/-
2	M.F.R EQUIPMENT	28	73,11,000/-
3	ROPE RESCUE	28	3,44,79,000/-
4	DIVING EQUIPMENT	24	8,79,80,800/-
5	RADIO EQUIPMENT	06	2,35,35,000/-
6	COMMUNICATION EQUIPMENT	16	1,37,44,500/-
7	MISCELLANEOUS EQUIPMENT	26	1,15,22,000/-
8	CBRN EQUIPMENT	32	5,88,25,000/-
वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपकरण के क्रय के पश्चात भुगतान हेतु शेष बची धनराशि			5,62,745/-
TOTAL-			202 45,22,47,845/-

नियम व शर्तें/ प्रतिबंधों

(1) अपर पुलिस महानिदेशक पी० ए० सी० के पत्र दिनांक 10.08.2023 के उल्लिखित उपकरणों के विस्तृत

- विवरण के अनुसार जिसकी संख्या ऊपर तालिका में अंकित है के अनुसार ही उपकरणों का क्रय किया जायेगा।
- (2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। गृह विभाग/पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि संबंधित विभाग को प्राप्त नहीं हुई हो।
- (3) वही उपकरण क्रय किये जायेंगे जो मानकों के अनुसार उपयुक्त एवं आवश्यक हों तथा उसकी उपादेयता के संबंध में शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। उपकरण इस प्रकार के न हों, जो किसी विशिष्ट एजेंसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से क्रय किये जा रहे हों। उपकरण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सहपठित तथा प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अनुसार जैम पोर्टल के अनुसार क्रय किये जायेंगे। उपकरण क्रय किये जाने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार ए०एम०सी०/सी०एम०सी० भी करायी जायेगी।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना एवं व्यय का पूर्व विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाये। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013 रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/ अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन दिनांक 31 मार्च, 2023 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- (7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- 2- इस सम्वन्ध में होने वाला व्यय रुपये 45,22,47,845/- (पैंतालीस करोड़ बाइस लाख सैंतालीस हजार आठ सौ पैंतालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000611 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by राम केवल

D6188/22-09-2023 16:41:27

राम केवल Approved

संख्या:-1326(1)/एक-10-2023 दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/ऑडिट प्रथम, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

2- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।

- 3- अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी, 30 प्र० लखनऊ।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30 प्र० लखनऊ।
- 5- सेना नायक राज्य आपदा मोचन बल, 30 प्र० लखनऊ।
- 6-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30 प्र०।
- 7- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30 प्र० शासन।
8. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- 9- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30 प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
- 10- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-5/गृह पुलिस अनुभाग-16/7 ।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-12/10/2023

प्रेषण संख्या:- 1326
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1326
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2495-डी0 आई0 जी0 - पीएसी मुख्या0-सेक्टर -जोन कार्या0 , --01--	वर्तमान प्रगामी	452247845 452247845	452247845 452247845
	योग	वर्तमान प्रगामी	452247845 452247845	452247845 452247845

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पैतालीस करोड़ बाइस लाख सैंतालीस हजार आठ सौ पैतालीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पैतालीस करोड़ बाइस लाख सैंतालीस हजार आठ सौ पैतालीस

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन